न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 टी0आई0 – 45/2016

तारीख रजू – 12.07.2016

उनवान

1.रामदयाल पुत्र रूगनाथ

2.शिवराम पुत्र रूगनाथ

3.गिरधारी पुत्र रूगनाथ

4.रामसिंह पुत्र विर्रू

5.शिम्भूदयाल पुत्र विर्रू

6.हेमराज पुत्र विर्रू

7.कैलाश पुत्र विर्रू

8.हरसहाय पुत्र कोरया

समस्त जाति मीना निवासी नांदकला तहसील टोडाभीम जिला करौली

– सायलान

बनाम

1.गिर्राज पुत्र ग्यारस्या

2.गोविन्द्रराम पुत्र भागीरथ

3.खिलाडी पुत्र भागीरथ

4.मनोहर पुत्र भांगीरथ

5.जगमोहन पुत्र भागीरथ

समस्त जाति मीना निवासी नांदकला तहसील टोडाभीम जिला करौली

6.तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) टोडाभीम जिला करौली

– गैरसायलान

प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाझा

उपस्थिति

श्री सुनील कुमार जिंदल एडवोकेट – सायलान

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट – गैरसायलान नं0 1

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक :– 24.03.2017

सायलान ने आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 929 रकवा 0.37 एयर, 930 रकवा 0.06 एयर, 931 रकवा 0.13 एयर कुल किता 03 कुल रकवा 0.56 एयर स्थित ग्राम नॉद तहसील टोडाभीम मे है जो वर्तमान मे गैरसायल नं0 1 व मृतक सावलिया हिस्सा 1/2 तथा गैरसायल नं0 2 ता 5 के नाम खातेदारी दर्ज है लेकिन उक्त आराजी पर सम्वत् 2055 अर्थात करीब 16 वर्षो से सायलान व सायलान के बुजुर्गो का निरतंर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि मे वर्णित खसरा नं0 929, 930, 931 के अलावा भी खाता सं0 67 मे अन्य आराजी भी शामलाती है जिसे गैरसायल नं0 1 ता 5 ने मौके पर बाह्मी बटवारा कर रखा है जिसमे खाता सं0 67 मे दर्ज आराजी खसरा नं0 157 रकवा 0.08 एयर, 160 रकवा 0.05 एयर, 929 रकवा 0.37 एयर, 930 रकवा 0.06 एयर, 931 रकवा 0.13 एयर गैरसायल नं0 1 व उसके भाई मृतक सावलिया के हिस्से मे आया जिसमे से गैरसायल नं0 1 व उसके मृतक भाई सावलिया ने खसरा नं0 157 रकवा 0.08 एयर, 160 रकवा 0.05 एयर के 1/2 हिस्सा तरफ उत्तर के तथा अन्य खाता नं0 286 मे दर्ज खसरा नं0 193 रकवा 0.23 एयर के सम्पूर्ण भाग को सायलान नं0 4 ता 8 को सम्वत् 2051 मे बही पर विक्रयनामा कर कब्जा करा दिया है जिस बाबत् सायलान नं0 4 ता 8 ने माननीय न्यायालय के समक्ष उनवानी हरसहाय वगै0 बनाम सावल के नाम से दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण विचाराधीन है। आराजीयात खसरा नं0 929 रकवा 0.37 एयर, 937 रकवा 0.06 एयर, 931 रकवा 0.13 एयर के सम्पूर्ण भाग को गैरसायल नं0 1 व उसके मृतक भाई सावलिया द्वारा सायलान नं0 1 ता 3 के पिता रूगनाथ हिस्सा 1/2 तथा सायलान नं0 4 ता 7 के पिता विरूं तथा सायल नं0 8 हरसहाय का हिस्सा 1/2 तथा उक्त खेत के पास मे वंशी, मिश्रा के खेत मे बनी कोठी मे भी आठवा हिस्सा को मिती श्रावन बुदी 5 सम्वत् 2055 मे 60,000 रूपये अक्षरे साठ हजार रूपये मे विक्रयधन राशि रूगनाथ, विरूं तथा हरसहाय का मौके पर कब्जा करा दिया और गैरसायल नं0 1 व उसके मृतक भाई सावलिया ने सायलान नं0 1 ता 3 के पिता रूगनाथ तथा सायलान नं0 4 ता 7 के पिता विरूं तथा सायल नं0 8 हरसहाय के हक मे एक विक्रयनामा सायलान के बुजुर्गो की बही मे गंगासहाय मीना की कलम कर तहरीर तकमील करवाकर विक्रेतागण गैरसायल नं0 1 व उसके मृतक भाई सावलिया ने अपनी स्वंय की निशानी व हस्ताक्षर गिर्राज सिब्त कर गवाही गवाहन खिलाडी हंसराम, रामप्रसाद

उप जिला कलैक्टर
टोडाभीम (करौली)

निवासी नॉद की गवाही कर लेखीबाल गंगासहाय मीना ने अपने हस्ताक्षर बतौर गवाह लेखीबाल क़र बही को हवाले सायलान के बुजुर्ग को कर दिया तभी से ही पहले सायलान के बुजुर्ग और अब सायलान उक्त आराजी को गैरसायलान की जानकारी मे रहते हुये खुल्लमखुल्ला निरंतर निर्वाह रूप से काश्त करते चले आ रहे है इस प्रकार सायलान का विवादित उक्त भूमि पर कब्जा मुखालपाना प्राप्त हो चुका है। उक्त आराजीयात के दक्षिण दिशा मे ठण्डी, रामप्रसाद पुत्र किशनलाल का खेत है तथा उत्तरी दिशा मे रामकरण, कैलाशसहाय पुत्र परमा मीना का खेत है, पश्चिम मे चिरंजी घनश्याम हरेत का खेत है तथा पूर्व दिशा मे सादबाबा की तलाई स्थित है इस प्रकार सायलान लॉन टर्म ऑफ पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हो चुके है। घटना दिनांक 05.03.2015 की है कि सायलान अपनी उक्त सरसो की फसल की सिचांई कर रहे थे अचानक गैरसायल नं0 1 आया और सायलान से कहा कि उक्त जमीन की खातेदारी हमारे नाम है इसलिये तुम अपना कब्जा छोड दो तो सायलान ने कहा कि भाई ये जमीन तो हमारे बुजुर्गो ने तुमसे व तुम्हारे भाई सावलिया से 60,000 रूपये मे खरीद की है जिसकी लिखापढी बही मे हो रही है तो गैरसायल नं0 1 नाराज हो गया तथा सायलान को धमकी दी कि उक्त जमीन की खातेदारी मेरे नाम है इसलिये मैं उक्त जमीन को किसी लठ्ठ वाले व्यक्ति को रजिस्ट्री करवाकर विक्रय कर दूगा और तुम्हे बेदखल कर दूगा। सायलान ने काफी समझाया लेकिन गैरसायल नं0 1 नही माना यदि गैरसायल नं0 1 अपनी उक्त बेजा कार्यवाही मे सफल हो गया तो सायलान को अपूतर्नीय क्षति हो जावेगी जिसकी क्षति पूर्ति इन टर्म ऑफ मनी भी पूरी नही हो सकेगी इसलिये यह प्रार्थनापत्र लाजमी हुआ है तथा रिलिफ चाही है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाई जाकर ताफैसला दावा गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान खसरा नं0 929 रकवा 0.37 एयर, 930 रकवा 0.06 एयर, 931 रकवा 0.13 एयर कुल किता 03 कुल रकवा 0.56 एयर स्थित ग्राम नॉद तहसील टोडाभीम से जबरन बेदखल ना तो स्वंय करे नाहि किसी अन्य से करावे नाहि जबरन कब्जा करे। उक्त आराजी को सायलान के अलावा किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन व्यय नही करे। ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे सायलान व सायलान की आराजी पर विपरित असर पडे। सायलान को उक्त आराजीयात को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस विपक्षीगण जारी किये गये। विपक्षी सं0 1 की तरफ से उनके वकील उपस्थित होकर जबाब प्रार्थनापत्र अस्थाई

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा पेश किया तथा भूमि खसरा नं0 929, 930, 931 ग्राम नॉद की खातेदारी गोविन्दराम, खिलाडी, मनोहर, जगमोहन पुत्र भागीरथ व सावलिया, गिर्राज पुत्र ग्यारसा के नाम दर्ज है इस भूमि से प्रार्थीगण का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नही है तथा नाहि इनका कभी भी या इनके बुजुर्गो का कब्जा रहा है। प्रार्थीगण ने इस मद मे सारी बाते गलत व झूठी दर्ज की है तथा नाहि कोई बही पर लिखापढी की गयी है। इस मद मे दर्ज विक्रय बाबत् कोई लिखापढी नही की गयी है तथा प्रार्थीगण को कोई खातेदारी के अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केश साबित नही है नाहि सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक मे है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को अपूतर्नीय क्षति है जबकि प्रार्थीगण को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र बही मे लिखापढी के संबंध मे पेश किया है तथा इसी लिखापढी के आधार पर भूमि की खातेदारी चाहते है। न्यायालय हाजा को अनरजिस्टर्ड, अनस्टाम्प या ऐसे इकरारनामा या लिखापढी के संबंध मे दावा सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है केवल सिविल कोर्ट को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मेन्टेनेबिल नही है और इसी बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य है।

वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे दर्ज कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाये तथा विपक्षीगण को पांबद किया जाये। विपक्षी के वकील ने दौराने बहस अपने जबाब मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाये। वकील सायलान ने दौराने बहस अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन मे कानूनी रूलिंग RRD 1994 Page 674, CCC 2007 (2) Page 514, WLC (Raj.) UC 1997 Page 377, CCC 1994 (2) Page 369, WLC (Raj.) 2000 (2) Page 279, RRD 1991 Page 1 प्रस्तुत की है तथा विपक्षी के वकील ने भी कानूनी रूलिंग DNJ (Raj.) 1999 Page 610, RRD 1988 Page 114, RRD 1992 Page 421 प्रस्तुत की है।

दोनो विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजात रूलिंग व परिपत्र का अवलोकन किया। सायलान ने इसी विवादित भूमि के संबंध मे पूर्व मे टी0आई0 पेश की थी जिसका मु0नं0 9/15 तारीख रजू 06.04.2015 है जो दिनांक 11.07.2016 को टी0आई0 का प्रार्थनापत्र खारिज हो गया है। पुनः नम्बर पर लेने की दरखास्त पर पुनः नम्बर पर लिया गया है। सायलान ने वादपत्र व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे विवादित भूमि के संबंध

उप जिला कलैक्टर

Scanned by CamScanner

मे एक विकयनामा बही सायलान के पक्ष मे तहरीर प्रस्तुत की है तथा इसी लिखापढी के आधार पर सायलान भूमि की खातेदारी चाहाते है। अनस्टाम्प अनरजिस्टर्ड या ऐसे इकरारनामा, बही मे लिखापढी के संबंध मे रेवन्यु न्यायालय को सुनवाई का खातेदारी देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है सिविल कोर्ट को ही ऐसे मामलो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 मे स्पष्ट प्रावधान है कि अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत 100 रूपये से ज्यादा की है उनका विकयनामा या अन्य किसी प्रकार से टान्सर्फर रजिस्टर्ड विकयपत्र के आधार पर ही हो सकता है तथा राज0टे0एक्ट की धारा 207 मे राजस्व न्यायालय द्वारा हीं विचारनीय वाद तथा प्रार्थनापत्र के संबंध मे वर्णन किया गया है इस प्रकार इकरारनामा, बही व लिखापढी के द्वारा बेचान किये गये मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के परिपत्र कंमाक प 5 (6) राज0–6/92/11 जयपुर दिनांक 05.04.2006 के अनुसार "जिन मामलो मे विकय का अनुबंध (Agreement of Sale) हो चुका है उन मामलो मे विकय मानते हुये मामले को सुनवाई हेतु नही लिया जाना चाहिए क्योकि (Agreement of Sale) विकय नही है व (Agreement of Sale) के संबंध मे सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है नाहि राजस्व न्यायालय को" उपरोक्त परिपत्र के अनुसार लिखावट के आधार पर राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने के कारण सायल का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

निर्णय आज दिनांक 24.03.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर टोडाभीम
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner